संसद के समक्ष अभिभाषण – 18 अप्रैल 1962

लोक सभा	-	तीसरी लोक सभा
सत्र	-	तीसरे आम चुनाव के पश्चात् पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
भारत के उपराष्ट्रपति	-	डॉ. एस. राधाकृष्णन
भारत के प्रधानमंत्री	-	पंडित जवाहरलाल नेहरु
लोक सभा अध्यक्ष	-	सरदार हुकम सिंह

माननीय सदस्यगण,

अपने गणराज्य के तीसरे संसद अधिवेशन के उद्घाटन के अवसर पर, संसद के सदस्यों के रूप में आपका स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप में से बहुत से ऐसे हैं जो गत वर्षों में भी संसद के सदस्य रहे हैं और जिन्हें एक बार फिर उनके निर्वाचकों ने चुनकर उनमें अपना विश्वास प्रकट किया है। आप में ऐसे लोग भी शामिल हैं जो सार्वजनिक कार्य के लिए या शायद विधान सभाओं के लिए भी, नये नहीं, किन्तु जिन्हें संसद के लिए पहली बार चुना गया है।

मैं आप सब को बधाई देता हूं और अपनी मातृभूमि की सेवार्थ सामूहिक प्रयत्नों के लिये आपका स्वागत करता हूं। संसद की सदस्यता की अवधि में आप में से प्रत्येक को, संसद के अन्दर अथवा अपने-अपने चुनाव क्षेत्रों में अपने देश की सेवा के रचनात्मक कार्य के लिए अनिवार्य रूप से लगातार अनेक और व्यापक अवसर मिलेंगे। राष्ट्र-निर्माण के कार्य की दिन-प्रतिदिन की और अन्तिम जिम्मेदारी संसद की है। इस कार्य के लिए आपकी पूर्ण विचारशक्ति, विश्लेषण, रचनात्मक आलोचना, सावधानी और समर्पण की क्षमता अपेक्षित है।

करीब एक महीना हुआ मैंने दूसरी संसद के अंतिम सत्र के सम्मुख अभिभाषण दिया और उनसे विदा ली थी। राष्ट्रीय जीवन में हमारे प्रयत्नों के फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में जो उन्नति हो रही है, उसका मैंने उस समय संक्षेप में ब्यौरा दिया था। तबसे आज के दिन तक, जब मुझे आपका स्वागत करने का श्रेय मिल रहा है, इस अल्प अवधि में भी कई दिशाओं में हमारा देश आगे बढ़ा है।

हमारे भौतिक विकास और वेगवान सामाजिक तथा आर्थिक संतुलन को बनाये रखने का आधार हमारी योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था है। तीसरी पंचवर्षीय योजना अपने दूसरे साल में है और इसका आरम्भ अच्छा हुआ है। इस व्यापक प्रयास का अभिप्राय है हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का निर्माण, उत्पादन और रोजगार में वृद्धि करना और अपने संविधान के आदेशानुसार सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय के आधार पर समाज का गठन करना। यह आवश्यक है कि इस योजना के कार्यरूप में परिणत होते हुए हमें उत्पादन के काम में अपने लोगों का बराबर बढ़ती हुई संख्या में सहयोग प्राप्त होता रहे और इस सहयोग का रूप दक्षता और जनता द्वारा राष्ट्रीय लक्ष्य को हृदयंगम करना हो।

देहाती क्षेत्रों में जनशक्ति का उपयोग करने के लिए कुछ समय हुआ प्रयोगात्मक योजनायें चालू की गई थीं। देहात विकास का यह कार्य बढ़ाया जा रहा है और अब इसके अंतर्गत 200 विकास केन्द्र आते हैं। ग्राम और घरेलू उद्योगों के विकास के लिए भी, चुने हुए देहाती क्षेत्रों में, प्रयोगात्मक योजनायें चलाई जा रही हैं। इनका अंतिम ध्येय देहाती लोगों की अर्थव्यवस्था को संतुलित और विविध बनाना है।

मेरी सरकार ने जनशक्ति के उपयोग के लिए दिल्ली में 'अप्लाइड मैन पावर रिसर्च' नामक संस्था स्थापित करने की दिशा में कदम उठाये हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना की रूप-रेखा के अनुसार बेरोजगारी दूर करने और बेरोजगारों की सहायता करने के लिए एक योजना तैयार की गई है। मजदूर अनुसंधान के लिए बम्बई* में एक केन्द्रीय संस्था खोली जा रही है। आशा है, तीसरी योजना में दिये गये मजदूर शिक्षण संबंधी कार्यक्रम से इस श्रेणी के अधिकांश लोग लाभ उठा सकेंगे। इस योजना का ध्येय हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों तथा आधारभूत सिद्धांतों के समझने को प्रोत्साहन देना और मजदूरों में ज्ञान तथा हुनर का प्रसार करना है जिससे कि वे लोग अधिक अच्छी तरह अपना संगठन कर सकें।

कृषि उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है और खाद्य की स्थिति आमतौर से बिल्कुल संतोषजनक है। कुछ क्षेत्रों में बिजली की कमी के बावजूद औद्योगिक उत्पादन में बराबर वृद्धि हो रही है।

अणुशक्ति के क्षेत्र में, खेती, जीव विज्ञान, उद्योग और चिकित्सा में काम आने वाले रेडियो आइसोटोप का उत्पादन भी आगे बढ़ा है। ट्रॉम्बे में तैयार किये गये रेडियोकोबाल्ट अब देश भर के अस्पतालों में उपलब्ध हैं। अणुशक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग तथा विकास के लिए गत वर्ष हंगरी, स्वीडन और सोवियत संघ के साथ हमारी संधियां हुई हैं।

पंचायती राज ने हमारे लोगों को अपनी ओर से बहुत आकर्षित किया है, क्योंकि यह हमारी परम्परा और विचारधारा के अनुरूप है। पंचायती राज चार और राज्यों में लागू होने जा रहा है। इस प्रकार कुल मिलाकर यह बारह राज्यों में लागू हो जायेगा।

*अब मुम्बई के नाम से जाना जाता है।

बरौनी में सार्वजनिक खण्ड में आने वाले दूसरे तेलशोधक कारखाने पर काम जारी है। इस कारखाने में प्रतिवर्ष 20 लाख टन तेल साफ किया जायेगा। दस लाख टन की क्षमता वाला पहला कारखाना आगामी 12 महीनों में काम करने लगेगा।

नूनमाटी से सिलीगुड़ी तक और कलकत्ता* से बरौनी होकर दिल्ली तक तेल की ढुलाई के लिए पाइप लाइन बिछाने की योजना है। देश के पश्चिमी भाग में तेल क्षेत्रों को प्रस्तावित तेलशोधक कारखाने के साथ और इस कारखाने को अहमदाबाद के साथ पाइप लाइन से जोड़ा जायेगा। पूर्व में पेट्रोलियम के उत्पादन से परिवहन और पश्चिम में कच्चे तेल, गैस और तैयार माल की ढुलाई के लिए तेल क्षेत्रों से विभिन्न शक्ति-क्षेत्रों तक पाइप लाइनें ले जायी जायेंगी। पाइप लाइनें बिछाने का यह कार्य तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में पूर्ण हो जायेगा। इससे हमारी रेल व्यवस्था पर सामान की ढुलाई का बोझ काफी हल्का हो जायेगा।

भारत को अठारह-राष्ट्र नि:रास्त्रीकरण समिति और संयुक्त राष्ट्र की प्रस्ताव कार्यान्वयन समिति का सदस्य चुना गया है। जिनेवा में होने वाली नि:रास्त्रीकरण संबंधी बातचीत में अभी तक विशेष प्रगति नहीं हो पायी है। नि:रास्त्रीकरण के ध्येय की प्राप्ति के अभाव में सम्मेलन की कोशिशें ऐसी समस्याओं को सुलझाने के लिए जारी हैं, जैसे अणुबम के प्रयोगात्मक विस्फोटों की रोकथाम, अचानक आक्रमणों पर प्रतिबन्ध लगाकर राष्ट्रों के बीच विश्वास की भावना पैदा करना, अणुप्रभाव से मुक्त क्षेत्रों के संबंध में समझौता और शस्त्रीकरण की दौड़ की रोकथाम करना। नि:रास्त्रीकरण संधि का सर्वमान्य प्रारूप तैयार करने में भी सम्मेलन व्यस्त है। इस संधि की प्रस्तावना इस समय विचाराधीन है। इस सम्मेलन के प्रयत्न सफल हों और बातचीत सवेग आगे बढ़ती रहे, इसके लिए मेरी सरकार सर्वोत्तम और सम्पूर्ण प्रयत्न करेगी। हमारा प्रतिनिधिमंडल, अन्य राष्ट्रों के साथ, अणुविस्फोटों की रोकथाम के लिए प्रस्तावों को प्रस्तुत करने और उनका समर्थन करने में विशेष रूप से और इस कार्य को अत्यन्त आवश्यक मानकर पूरी सहायता देगा।

1962-63 के लिए अन्तरिम बजट विगत संसद के सामने रखा गया था और वर्ष के एक भाग के लिए आय-व्यय पर मतदान द्वारा खर्च करने की अनुमति ले ली गई थी। नई संसद के सामने भी इसी सत्र में आवश्यक संशोधनों के साथ बजट पेश किया जायेगा और समस्त वर्ष के लिए संसद से धनराशि स्वीकृत करने की प्रार्थना की जायेगी।

मेरी सरकार निम्नलिखित विधेयक पेश करना चाहती है:—

1. विधि आयोग की कुछ सिफारिशों को कार्यरूप देने के लिए कुछ विधेयक,
2. दि कांस्टीट्यूशन (अमेंडमेंट) बिल्स,

*अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है।

3. दि एटौमिक एनर्जी बिल
4. दि इलैक्ट्रीसिटी (सप्लाई) अमेंडमेंट बिल
5. दि पेटेंट्स बिल
6. दि इंडियन टैरिफ (अमेंडमेंट) बिल
7. दि इंडस्ट्रीज (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल
8. दि पोर्ट ट्रस्ट्स बिल
9. दि ऑयल एंड नैचुरल गैस कमीशन (अमेंडमेंट) बिल
10. दि मिनिमम वेजेस (अमेंडमेंट) बिल
11. दि फैक्ट्रीज (अमेंडमेंट) बिल
12. दि पेमेंट ऑफ वेजेस (अमेंडमेंट) बिल
13. दि वर्कमैन्स कम्पन्सेशन (अमेंडमेंट) बिल
14. दि इंडस्ट्रीयल (अमेंडमेंट) बिल
15. दि वर्किंग जर्नलिस्ट्स (अमेंडमेंट) बिल
16. दि एम्पलोइस प्रोविडेंट फंड (अमेंडमेंट) बिल
17. दि एम्पलोइस स्टेट इन्श्योरेंस (अमेंडमेंट) बिल
18. दि वैल्थ टैक्स (अमेंडमेंट) बिल
19. दि फाइनांस बिल (नं. 2)

संसद के माननीय सदस्यगण, गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में आपके सम्मुख अभिभाषण देने का मेरे लिये यह अंतिम अवसर है। बारह वर्षों से अधिक समय तक लोगों द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में देश की सेवा करने का सुयोग मुझे मिला, यह मेरे लिए बड़ी खुशी और सौभाग्य की बात है। इस उच्च पद को स्वीकार करने से पहले, संसदीय जीवन और उसके कर्तव्यों का भी मुझे कुछ अनुभव रहा है। उसके लिए मेरे मन में अधिक से अधिक आदर है और संसदीय प्रणाली तथा उसकी संस्थाओं में मेरा आशापूर्ण विश्वास और गहरी आस्था है। इसमें मुझे संदेह नहीं कि आप अपने पूर्वाधिकारियों द्वारा स्थापित उच्च परम्पराओं को बनाये रखेंगे।

यह भी सौभाग्य की बात है कि हमारी संसद के प्रति लोगों की आदर भावना है और हमारी राजनीतिक भावनाओं में इसकी जड़ें गहरी जम गई हैं। यद्यपि इसके मूल आदर्श और कार्य-प्रणाली ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिये गये हैं, हमारी संसद ने अपना सजीव व्यक्तित्व विकसित किया है और यह प्रक्रिया बराबर जारी है। हमने अपने

अनुभव के आधार पर और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपनी रीतियों और कार्यविधियों की स्थापना की है।

जैसा कि मैंने अपने पिछले अभिभाषण में कहा था, मेरी सरकार का उद्देश्य और लक्ष्य अपनी नीतियों पर दृढ़तापूर्वक चलना और अपने देश में लोकतंत्रात्मक तथा समाजवादी समाज की स्थापना के लिए प्रभावपूर्ण कार्यवाही करना है। ऐसा करने से ही राष्ट्रीय उन्नति तथा उत्पादन में वृद्धि सामाजिक न्याय का रूप ले सकती है, उन्नति की वेगवती प्रवृत्ति शांतिपूर्ण रह सकती है और हमारा देश दृढ़ता और तेजी से आगे बढ़ सकता है।

अब मैं आपसे विदा लेता हूं और आपको आपका कार्यभार सौंपता हूं। मुझे विश्वास है कि आपके अनुभव, देश भक्तिपूर्ण उत्साह और अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण की भावना, आपकी त्यागपूर्ण कर्तव्य-परायणता तथा दक्षता और जो जरूरी काम हमारी राह देख रहे हैं उनकी पुकार, हमेशा और पूरी तरह इस कार्य को प्राप्त रहेगी।

मैं आपका शुभ चाहता हूं। आप सब और हमारी लोकतंत्रात्मक संस्थाएं स्थायी और शक्तिशाली बनें, लोगों को जनतंत्रात्मक प्रयत्नों के लिए अधिकाधिक प्रेरित करें और शांति तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को उन्नत करने में सहायक हों, यही मेरी कामना है।

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद